न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2003 द्वितीय अपील

A.1499-III/03

1- शंकरसिंह पुत्र श्री मुन्शीसिंह फौत

द्वारा वैध वारिसान :-

फौत दि.17/12/09 (अ) देवेन्द्र सिंह (ब) माताप्रसाद (स) देवेश

(द) दु ... (इ) रामकुमार पुत्रगण शंकरसिंह

2- श्री ... देवी पत्नी स्व० शंकरसिंह जाति

ठाकुर निवासी हाथी का पुरा मौजा बरेह ,

तेहसील अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०

---- अपीलान्टस

8 OCT 2003

बनाम

1- म०प्र० शासन — (तरमीमी)

फौत दि. 9-5-11 Ex.P. 2-9-05 2- लालाराम

3- राजहंश (फौत) द्वारा वैध वारिसान

(अ) श्रीमती सरलादेवी बेवा [redacted] राजहंश

(ब) विपिन (स) बी०पी० सिंह

(द) कु०, पूजा समस्त पुत्र पुत्रीगण

स्व० राजहंश [redacted], पुत्र बी०पी०सिंह व पुत्री

कु० पूजा नाबालिग ,सरपरस्त माँ श्रीमती

सरला देवी [redacted] पत्नी राजहंश [redacted] समस्त निवासीगण

Ex.P. 2-9-05 4- श्रीनिवास

5- राजेन्द्रसिंह x

6- मानसिंह पुत्रगण तुकमानसिंह समस्त

निवासीगण ग्राम हाथी का पुरा , [redacted]

मौजा बरेह, तेहसील अम्बाह , जिला

मुरैना म०प्र० ---- रेस्पोन्डेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म०प्र० भू० रा० संहिता 1959

विरुद्ध आदेश दिनांक 21/08/2003 द्वारा पारित न्यायालय

अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना प्र०क्र० 191/2000-20

8/10/03

रेस्पोन्डेन्टस को नोटिस

सम्बन्धीय कार्यवाही ...

नेरीक्षण-पत्र ...

A. 1499-III/03 ([illegible])

COURT FEE INDIA
2 Rs.
भारत दो रुपये
TWO RUPEES

A.1499-III/03

श्री रामसेवक

[illegible]

1. [illegible] s/o [illegible]
2. [illegible] s/o [illegible]
3. [illegible] s/o [illegible]
4. [illegible] s/o [illegible]
5. [illegible] s/o [illegible]

[illegible]

Incorporated vide order dt. 6.6.12.
6.6.12

[illegible]
N/A-2

1. [illegible] s/o [illegible]

[illegible]

Incorporated vide order dt. 6.6.12
6.6.12

Xxxix(a)-BR(h)-11

-3-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

**प्रकरण कमांक 1499–तीन/2003 अपील** जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनॉक | कार्यवाही तथा आदेश |
|---|---|
| 8.1.17 | यह अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण नंबर 191 2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि शॅकर सिंह पुत्र मुंशी सिंह एंव महिला श्रीदेवी पत्नि शॅकर सिंह ग्राम हाथी का पुरा मौजा बगेरह ने आवेदन देकर बताया कि उनकी भूमि सर्वे नंबर 1643/1, 1643/2 के बंदोवस्त के वाद नये सर्वे नंबर 1954, 1955, 1956 तथा 2004, 2005 के निर्माण में त्रृटि हुई है, सुधार किया जाय। यह आवेदन तहसीलदार अम्वाह को जॉच हेतु भेजकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 16/2001–02 में आदेश दिनॉक 27–4–2001 पारित किया तथा तहसीलदार के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा सुधार करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 191/ 2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह द्वित्तीय अपील है।<br>3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा तथा शासकीय अभिभाषक श्री राजीव गौतम एंव अनावेदक के वारिसान के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>4/ अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने बंदोवस्त के दौरान अपीलांट के कब्जे की भूमि अन्यत्र नक्शे में करके नवीन सर्वे नंबर दिया है जबकि इस भूमि पर अपीलांट का मकान बना है इसलिये |

नक्शा सुधार करने में अपर कलेक्टर ने भूल की है यदि नक्शा सुधार किया जाता है तब अपीलांट का निर्मित मकान अनावेदकगण की भूमि में हो जावेगा। अनावेदक क–2 के अभिभाषक का तर्क है कि दोनों पक्षों के बीच अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पूर्व में प्रकरण चला है एंव दोनों पक्षों के बीच राजीनामे के आधार पर प्रकरण निर्णीत होकर सर्वे नबर 1861/1 का दक्षिण भाग लालाराम वगैरह को तथा सर्वे नबर 1861/2 का उत्तर भाग शॅकर सिंह आदि को दिया गया है जिसके कारण किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है यदि थोड़ा बहुत एक–दूसरे का भाग एक–दूसर पक्ष के हित में आता है तब मकान की आड़ लेकर , जबकि मकान है ही नहीं , अपील निगरानी करना व्यर्थ है उन्होंने अपर कलेक्टर का आदेश सही होने के कारण अपर आयुक्त ने उसे ठीक ही यथावत् रखा है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि यह सही है कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामे के आधार पर प्रकरण निर्णीत होकर सर्वे नबर 1861/1 का दक्षिण भाग लालाराम वगैरह को तथा सर्वे नबर 1861/2 का उत्तर भाग शॅकर सिंह आदि को दिया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 16/2001–02 में आदेश दिनॉक 27–4–2001 पारित करके तहसीलदार व्दारा मौके की स्थिति के मान से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नक्शे में सुधार करने के आदेश दिये है जो यथोचित पाने के कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण नंबर 191/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 से अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखा है जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 21–8–2003 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 191/ 2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य